

Greater Noida Industrial Development Authority

169, Chitvan Estate Sector-Gamma, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, 201308

PLG/(BP). 29.11.18

Dated..... 25.01.2017

To,

M/s AR LANDCRAFT LLP
A-66, SECTOR- 63,
NOIDA, Distt. G.B. Nagar

Sir,

With reference to your application no- 462, dated- 10-01-2017 for grant of **Revised Sanction of Building Plan** {RESIDENTIAL CLUSTER-A (TOWER A1, A2, B1, E.CLUB.), RESIDENTIAL CLUSTER-B (TOWER -D) RECREATIONAL CLUSTER- C (TOWERS B2,C1,C2.), RECREATIONAL CLUSTER- D (TOWERS B2, C1,C2.), MAIN CLUB, CLUB-2, CLUB-3, CLUB-4, COMMERCIAL BUILDING, UTILITY-1&2, GUARD ROOM, METER ROOM} on Plot no. REP-01, Sector- 27, Greater Noida This is to inform you that the sanction is being granted by the Authority with the following conditions:

1. This sanction is being granted under the provision of 'The Greater Noida Industrial Development Area Building Regulation 2010.
2. The validity of this sanction is **up to-5 Years**
3. In case allotment is cancelled/lease is determine for whatsoever reason by functional department, aforesaid sanction shall automatically be deemed to have been withdrawn.
4. During this period, after the completion of construction it is necessary to apply for occupancy certificate. Time extension **charge shall be payable as applicable.**
5. If demanded by the Authority. You shall be liable to pay charges for the provision of any further facilities/development/improvement.
6. A copy of the sanction drawing shall always be kept at site and shall be made available to any officer of the Authority on demand.
7. No addition/alteration is permitted in the sanctioned drawings. For any changes prior permission from the Authority required.
8. You shall be responsible for carrying out the work in accordance with the requirements of Greater Noida Industrial Development Building Regulation 2010. and direction made from time to time.
9. Prior permission is required before digging an under ground bore well.
10. No activity other than as specified in lease deed shall be permitted in the premises
11. Prior permission is permission from the Authority is required for temporary structure also like labour huts & site office
12. Gate shall open on to the service road only. Direct access to the main carriageway shall not be provided.
13. Services, rain water harvesting shall be laid as per approval of Authority.
14. No parking of any kind shall be permitted on r/w of road.
15. Pejometer shall have to be installed as per direction issued by Authority.
16. Complying with all the requirement for obtaining NOC from various departments prior to submission of application for occupancy shall be the responsibility of allottee irrespective of the proposal sanctioned by GNIDA.
17. **Before starting construction, the NOC is required from Ministry of Environment & Forest under notification no- 60(A) dated 27-1-1994 and its amendment from time to time or under notification dated 14-09-2006 which ever is applicable. The copy of shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.**
18. **Before starting construction, the NOC is required from Central Ground Water Authority under notification dated 15.11.2012. The copy of N.O.C. from C.G.W.A. shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.**
19. Mechanical ventilation to be provided in the basement as per I.S Code
20. The promoters shall follow provisions of UP Apartment Act, 2010 and its applicability to the project as per defined rules and amendments made in future. As per the provision of UP Apartment Rules 2011.
21. The construction on the plot shall have to be done in accordance with the provision of MOEF Guidelines 2010 and Hon'ble NGT orders from time to time in this regard.
22. The promoter shall inform the office of GM (Plng) for site visit when construction upto plinth level and Gr. Floor Slab level is reached. After clearance from planning department the promoter can go ahead with Construction beyond plinth level & Ground Floor Slab.

CONDITIONAL with respect point no 17 vis-à-vis notification 60(A) dated 27-1-1994 and its amendment from time to time and notification dated 14-09-2006 issued by Ministry of Environment & Forest and point no. 18 vis-à-vis guidelines dt.15.11.2012 of C.G.W.A.

Encl: Copy of sanctioned drawings ()
Copy to: G.M. (Engg.) for information and n.a./ Manager (Commercial) for information and n.a.

LEENU SAHGAL
G.M. (Plng&Arch)

G.M. (Plng&Arch)

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस
पत्रांक: भ-26/जेडी/फा0स0/लखनऊ-15(गौतम0)/12
सेवा में,

मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
दिनांक: जगवरी 04 2017,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स ए0आर0 लैण्डकाफ्ट प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-आर0ई0पी0-1, सेक्टर-27, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन (क्लस्टर-ए0, बी0, सी0, डी0, एवं क्लब-02, 04, व मेन क्लब एवं यूटिलिटी-01, 02 व कार्मशियल) के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: यूआईडी:2015/11065/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/2195/जे0डी0
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र उपलब्ध कराते हुए संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 03-01-2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 06-01-2017 उपनिदेशक फायर सर्विस ग्रेटर नौएडा को उपलब्ध करायी गयी तथा उपनिदेशक फा0स0 ग्रेटर नौएडा द्वारा अग्निशमन का परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-कुल भूखण्ड/प्लॉट एरिया-4,03575.00 वर्ग मी0 जिसमें प्रस्तावित ब्लॉक/टावरों की अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक: भ- 26 /जेडी/फा0स0/लखनऊ 15, दिनांक: जून 2015 के माध्यम से निर्गत किया गया है, प्रस्तावित भवनों का संलग्न एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नाम ब्लॉक/टावर	तलों का विवरण	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	ऊँचाई मी0।
1	(क्लस्टर-ए0)	टावर-ए0-1, 02, टावर-बी0-1, टावर-ई क्लब-ए0,	बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 19 तल बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 19 तल बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 36 तल भूतल एवं प्रथम तल	387.95 प्रत्येक 492.942 529.30 602.09
2	(क्लस्टर-बी0)	टावर-डी0	बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 21 तल	2165.39
3	(क्लस्टर-सी0)	टावर-बी0-02, टावर-सी0-01, 02,	बेस0, भूतल एवं 08 तल बेस0, भूतल एवं 08 तल	492.942 627.024 प्रत्येक
4	(क्लस्टर-डी0)	टावर-बी0-02, सी0-01, 02,	02बेस0, भूतल एवं 08 तल 02बेस0, भूतल एवं 08 तल	492.942 627.024 प्रत्येक
5	मेन क्लब	-	02बेस0, भूतल एवं 05 तल 440.89/215.58	840.22/810.93 23.95
6	क्लब-02	-	02बेस0, भूतल एवं 02 तल	185.53/91.89
7	क्लब-03	-	02बेस0, भूतल एवं 02 तल	364.033/169.611
8	क्लब-04	-	02बेस0, भूतल एवं 03 तल	346.291/169.956 150.377
9	यूटिलिटी-01	-	भूतल	107.40 03.10/

(अरविन्द शुभाष)
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस



	एव 02			05.90
11	कामशियल	-	भूतल एवं प्रथम	09.20
			457.786	

वेसमेंट:- प्रश्नगत भवन में वेसमेंट एरिया-76,108.299 वर्ग मी० प्रस्तावित है।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेंट (एन०बी०सी०-2005 आवासीय श्रेणी ए०-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 60 मी० मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन०बी०सी० मानक के अनुसार है।

2-सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग-16.00 मी०।

बी०-पृष्ठ भाग-16.00 मी०।

सी०-पार्श्व भाग प्रथम-12.00 मी०।

डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-16.00 मी०।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरो के चारों ओर 06 मीटर का मोटरबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3-निकास मार्ग:-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक में स्टेयरकेस तालिकानुसार है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा को अवलंबित है। इण्टरनल स्टेयरकेस का निर्माण एन०बी०सी० के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.9 से 4.9.10 तक तथा एक्सटर्नल स्टेयरकेस का निर्माण एन०बी०सी० के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.11 से 4.11.11 तक के अनुसार एवं रैम्प का निर्माण एन०बी०सी० के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.14.1 से 4.14.3 के अनुसार किया जायेगा।

4-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन०बी०सी० मानक के अनुसार है।

5-इण्टरडिस्टेंस विटवीन ब्लॉक:- भवन में इण्टरडिस्टेंस विटवीन ब्लॉक उपविधि के अनुसार अनुमत्य होंगे।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन०बी०सी० 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना प्राविधानित है।

1-भूमिगत:-प्रश्नगत भवन में 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉल्कनीय है।

2-पम्पस:-प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2850 एल०पी०एम० क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है।

3-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000.00 दस हजार ली०, स्थापित कराया जाना एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्राविधानित है।

4-होजरील:- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील एन०बी०सी० मानको के अनुसार प्राविधानित है।

5-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर एन०बी०सी० एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई०एस०-3844 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

6-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7-ऑटोमेटिक रिप्रिंकलर सिस्टम:- समस्त टावरों के सम्पूर्ण तल पर ऑटोमेटिक रिप्रिंकलर सिस्टम एन०बी०सी० एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8-ऑटोमेटिक डिडिक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- 60 मीटर से ऊँचे टावरों के सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडिक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्राविधानित है।

9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्राविधानित है।

10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०- 2190 के अनुसार वॉल्कनीय है।



(अवरिक्त हस्ताक्षर)

अवरिक्त हस्ताक्षर

506



- 11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में मैकेनिकल स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 12-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 13-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 14-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 15-प्रश्नगत भवन में इमरजेंसी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
 16-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
 17-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा स्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुये जोड़ा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स ए0आर0 लैण्डक्राफ्ट प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-आर0ई0पी0-1, सेक्टर-27, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पूर्वतः किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
 अध्यक्ष, निदेशक, पञ्चसूर
 संयुक्त निदेशक, पञ्चसूर
 उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि:1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।

3-अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।

4-मैसर्स ए0आर0 लैण्डक्राफ्ट प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-आर0ई0पी0-1, सेक्टर-27, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।



Greater Noida Industrial Development Authority

169, Chitvan Estate Sector-Gamma, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, 201306

PLG/(BP). 3459/VGL-2/253

Dated.....13.11.2017

CONDITIONAL with respect point no 19 vis-à-vis notification 60(A) dated 27-1-1994 and its amendment from time to time and notification dated 14-09-2006 issued by Ministry of Environment & Forest and point no. 20 vis-à-vis guidelines dt. 15.11.2012 of C.G.W.A.

To,

M/s AR LANDCRAFT LLP
A-66, SECTOR- 63,
NOIDA, Distt. G.B. Nagar

Sir,

With reference to your application no- 76759, dated-27-12-2016 For grant of **Revised Sanction of layout plan on Plot no. REP-01, Sector- 27, Greater Noida** This is to inform you that the sanction is being granted by the Authority with the following conditions:

1. This sanction is being granted under the provision of 'The Greater Noida Industrial Development Area Building Regulation 2010.
2. The validity of this sanction is **up to-5 Years**
3. In case allotment is cancelled/lease in determine for whatsoever reason by functional department, aforesaid sanction shall automatically be deemed to have been withdrawn.
4. During this period, after the completion of construction it is necessary to apply for occupancy certificate. Time extension charge shall be **payable as applicable.**
5. If demanded by the Authority. You shall be liable to pay charges for the provision of any further facilities/development/improvement.
6. A copy of the sanction drawing shall always be kept at site and shall be made available to any officer of the Authority on demand.
7. No addition/alteration is permitted in the sanctioned drawings. For any changes prior permission from the Authority required.
8. You shall be responsible for carrying out the work in accordance with the requirements of Greater Noida Industrial Development Building Regulation 2005, and direction made from time to time.
9. Prior permission is required before digging an under ground bore well.
10. No activity other than as specified in lease deed shall be permitted in the premises
11. Prior permission is permission from the Authority is required for temporary structure also like labour huts & site office
12. Gate shall open on to the service road only. Direct access to the main carriageway shall not be provided.
13. Services, rain water harvesting shall be laid as per approval of Authority.
14. No parking of any kind shall be permitted on r/w of road.
15. Pejometer shall have to be installed as per direction issued by Authority.
16. Complying with all the requirement for obtaining NOC from various departments prior to submission of application for occupancy shall be the responsibility of allottee irrespective of the proposal sanctioned by GNIDA.
17. Before starting construction, the NOC is required from Ministry of Environment & Forest under notification no-60(A) dated 27-1-1994 and its amendment from time to time or under notification dated 14-09-2006 which ever is applicable. The copy of shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.
18. Before starting construction, the NOC is required from Central Ground Water Authority under notification dated 15.11.2012. The copy of N.O.C. from C.G.W.A. shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.
19. Mechanical ventilation to be provided in the basement as per I.S Code
20. The promoter shall follow the apartment Act-2010 and its applicability to the project as per defined rules and amendments made in future. As per the provision of U.P. Apartment Rules 2011.

13/11/17
LEENU SAHGAL
G.M. (Plng&Arch)

Encl: Copy of sanctioned drawings ()
Copy to: G.M. (Engg.) for information and n.a.



कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।
पत्रांक: 11-26/जेडी/फा0स0/मेरट-15/13 दिनांक: जनवरी 07 2017.
सेवा में

विषय: महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजक),
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।
मैसर्स ए0आर0 लैण्डक्राफ्ट एलएलपी द्वारा प्लॉट न0 आरईपी-1, सेक्टर-27 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित भवनों के निर्माण हेतु संशोधित मास्टर ले आउट प्लान (साइट प्लान) स्वीकृति हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत किया जाना।

यूआईडी 2015/10076/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/1874/जेडी
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित भवनों के निर्माण हेतु तलपट योजना स्वीकृति हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के अनुपालन में प्रस्तुत मानचित्रों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-3, ग्रेटर नौएडा द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 01-03-2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा आख्या एवं मानचित्रों का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरट परिक्षेत्र को उपलब्ध करायी गयी। उपलब्ध कराई गयी आख्याओं एवं मानचित्रों का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका एरिया विवरण निम्नवत है:-

भवन संरचना-प्रश्नगत भवन की पूर्व में अनापत्ति प्रमाण इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक: 23-05-2015 एवं सितम्बर 2016 के माध्यम से निर्गत की गयी है।

1-मानचित्रों के अनुसार कुल प्लॉट एरिया-4,03,575.00 वर्ग मी0 अर्थात् 100 एकड़ है जिसमें आवासीय भवन(विलाज, अपार्टमेन्ट एवं क्लब) आदि प्रस्तावित है।

ढाचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग- मानचित्रों में प्लॉटों के सामने रोड की चौड़ाई 60, 18 एवं 12 मीटर मानकों के अनुसार अंकित की गई है जिस पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आ जा सकते हैं।

2-प्रवेश द्वार- प्रवेश द्वार की चौड़ाई 06.00 मी0 से कम एवं गेट पर आर्च होने की दशा में न्यूनतम ऊँचाई 06 मी0 (एण्ट्री एवं एग्जिट) मानकों के रखी जानी अनिवार्य होगी।

3-सैटबेक- प्रत्येक प्लॉट में सैटबेक नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार छोड़े जाने अनिवार्य होंगे तथा इण्टरनल रोड की चौड़ाई भवन विनियमावली के अनुसार छोड़े जाने अनिवार्य होंगे।

4-इण्टर डिस्टेन्स बिटविन ब्लाक- प्रत्येक प्लॉट में इण्टर डिस्टेन्स बिटविन ब्लाक भवन विनियमावली के अनुसार सैटबेक छोड़े गये हैं जिनको बनाये रखा जाना अनिवार्य है तथा इण्टरनल रोड की चौड़ाई भवन विनियमावली के अनुसार छोड़े जाने अनिवार्य होंगे।

अग्निशमन व्यवस्था-

1-समस्त टाउनशिप में 02 स्थानों पर अग्नि सुरक्षा हेतु भूमिगत टैंक क्षमता 2,00,000 दो लाख ली0 एवं 2280 एपीएम क्षमता का मैन विद्युत चालित पम्प इतनी ही क्षमता का डीजल चालित पम्प एवं 180 एलपीएम क्षमता का जौकी पम्प एवं पूरे परिसर में 45 मी0 पर यार्ड हार्डिनेण्ट्स की स्थापना एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है जिनको ले आउट में सांकेतिक किया गया है।

2-आवेदक द्वारा मानचित्रों में प्रस्तावित अलग अलग फैंशिलिटीज को सांकेतिक किया गया है जिनमें फायर सर्विस वाहनो की मोटोरेबिल्टी दर्शायी गई जिनके मानचित्रों में इण्टर डिस्टेन्स बिटविन ब्लाक एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार रखी जानी अनिवार्य होगी।

3-ले आउट में नियोजित भवनों हेतु मानचित्र तैयार कर अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी जिनके अलग अलग भवनों में व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय होगी।

4-ले आउट में दर्शाये गये रोड को हार्ड मोटोरेबुल रखा जाना अनिवार्य होगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
गौतमबुद्धनगर




अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स ए0आर0 लैण्डक्राफ्ट एलएलपी द्वारा प्लॉट न0 आरईपी-1, सेक्टर-27 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित संशोधित मास्टर ले आउट प्लान (साइट प्लान) हेतु अग्निशमन विभाग को मानकों के अनुसार किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, तथा इस प्लान में प्रस्तावित भवनों के निर्माण हेतु मानचित्रों पर अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

(अश्विनी कुमार शर्मा)
सहायक निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

- प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ।
2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।
3-अग्निशमन अधिकारी इकोटेक-3, ग्रेटर नौएडा को अनुपालनार्थ।
4-मैसर्स ए0आर0 लैण्डक्राफ्ट एलएलपी द्वारा प्लॉट न0 आरईपी-1, सेक्टर-27 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।





MASTER AREA STATEMENT					
S.NO.	PARTICULARS	PERMISSIBLE / ACREAGE	OR N	PROPOSED	OR N
1	PLAY AREA				
	PLAY AREA	40007.605 Sq. M	100%	39007.095 Sq. M	97.50%
	RECREATION PLAY	30068.100 Sq. M	75%	29007.095 Sq. M	96.78%
	SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL & COMMERCIAL PLAY	10000.705 Sq. M	25%	10000.705 Sq. M	100.00%
2	P.A.S.				
	A. PERMISSIBLE FAR (G.N)	160488.000 Sq. M	40.000%		
	D. SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL FAR			72426.098 Sq. M	
	E. SUPPORT FACILITY COMMERCIAL FAR			3621.000 Sq. M	
	TOTAL (D+E)			76048.098 Sq. M	47.332%
	RECREATION FAR	72338.430 Sq. M	17.829%	18000.000 Sq. M	24.882%
	B. PURCHASED FAR				
	SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL FAR	18079.002 Sq. M	4.460%	18079.002 Sq. M	4.460%
	RECREATIONAL FAR	54288.000 Sq. M	13.440%	54288.000 Sq. M	13.440%
	TOTAL RESIDENTIAL AND RECREATION	72327.432 Sq. M	17.829%	72327.432 Sq. M	17.829%
	TOTAL FAR RESIDENTIAL FAR			118279.000 Sq. M	29.599%
	TOTAL SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL FAR			94288.000 Sq. M	23.600%
	C. PURCHASED RECREATIONAL FAR				
	ADDITIONAL FAR FOR GREEN BUILDINGS (0.04%) RECREATIONAL	72338.430 Sq. M	17.829%	72338.430 Sq. M	17.829%
	TOTAL (C+D)	142627.870 Sq. M	35.717%	79333.712 Sq. M	19.620%
	TOTAL FAR	400076.000 Sq. M	100.00%	390070.000 Sq. M	97.500%
3	OPEN P.A.S.				
	F. 10% FOR RECREATIONAL	40007.605 Sq. M	10.000%	39200.000 Sq. M	9.800%
	G. 25% FOR SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL	10000.705 Sq. M	25.000%	10000.000 Sq. M	25.000%
	H. 15% FOR SUPPORT FACILITY COMMERCIAL	3600.255 Sq. M	9.000%	3600.000 Sq. M	9.000%
	TOTAL FAR FOR OPEN P.A.S.	53608.565 Sq. M	13.500%	52800.000 Sq. M	13.300%
4	LANDSCAPE COVERAGE				
	GROUPED COVERAGE FOR RECREATIONAL			14000.000 Sq. M	35.000%
	GROUND COVERAGE FOR SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL			12000.000 Sq. M	30.000%
	GROUND COVERAGE FOR SUPPORT FACILITY COMMERCIAL			3000.000 Sq. M	7.500%
	TOTAL LANDSCAPE	27000.000 Sq. M	67.500%	29000.000 Sq. M	72.500%
5	MINIMUM GREEN SPACE				
	DESIGN PLANTATION AREA @ 20% OF PLOT AREA	120000.000 Sq. M	30.00%	100000.000 Sq. M	25.00%
6	GREEN AREA				
	GREEN AREA @ 50% OF OPEN AREA	160000.000 Sq. M	50.00%	140000.000 Sq. M	50.00%
7	TOTAL				
	TOTAL	400076.000	100.00%	390070.000	97.50%
8	STATEMENT				
	BALANCEMENT AREA @ 20% min.	80013.900 Sq. M	20.00%	80013.900 Sq. M	20.00%
	BALANCEMENT AREA UNDER SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL			37500.000 Sq. M	9.375%
	BALANCEMENT AREA UNDER SUPPORT FACILITY COMMERCIAL			17500.000 Sq. M	4.375%
	BALANCEMENT AREA UNDER RECREATIONAL			54000.000 Sq. M	13.500%
	TOTAL	80013.900	20.00%	80013.900	20.00%
9	PARKING				
	P. PARKING FOR SUPPORT FACILITY RESIDENTIAL @ 400 SPM	11.000%		11.000%	
	Q. PARKING FOR SUPPORT FACILITY COMMERCIAL @ 500 SPM	4.00%		4.00%	
	R. PARKING FOR RECREATIONAL @ 200 SPM	4.00%		4.00%	
	S. PARKING FOR BALANCED PERMISSIBLE A/FAR @ 200 SPM	4.00%		4.00%	
	TOTAL	23.00%		23.00%	

	TOTAL PLANNING EXPENSE
--	------------------------

Samir der Single Laura

Key Plus



LE



Architects Signature

**Astra, Archer,
Council of Architects**

Registration No. C-03001-0000

Owner's Signature

AIRLANDER NET LUP

Clients:

MS AG | www.ms-ag.com | 1.800.445.1111

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Services Consultant	
---------------------	--

CompuServe Engineering Services
 Home Office : 8157, Sector - 47, Noida

4. **Address**

ARCOP ASSOCIATES
145 BROADWAY

A-15, PAMFUSH ENCL
New Delhi-110 048

Project title

PROPOSED RECREATION
ENTERTAINMENT PARK

NO. REP 1 SECTOR - 2
NOIDA (U.P.) BELONGS

RLANDCRAFT LLP

Drawing Title

MASTER PLAN • MASTER
CALCULATION

IN	2
----	---

Score	Number	A
-------	--------	---

ASTHMA	LESS	
Age	Score	Ref

23.11.2009	11.10.09	20
------------	----------	----